GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

## WEEKLY -

सं. 1] दिल्ली, जनवरी 9, 2015—जनवरी 15, 2015, बृहस्पतिवार/पौष 19—पौष 25, 1936 [रा.रा.स.क्षे. सं. 178 No. 1] DELHI, JANUARY 9, 2015—JANUARY 15, 2015, THURSDAY/PAUSA 19—PAUSA 25, 1936 | N.C.T.D. No. 178

## भाग IV PART—IV

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली अधिसुचना

दिल्ली, 12 जनवरी, 2015

सं. 58/डीएचसी/गजट/जी-10/2015.—माननीय मुख्य न्यायाधीश दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरुण कुमार को उनका नाम "अरुण कुमार" से "अरुण कुमार गर्ग" बदलने की अनुमित सहर्ष देते हैं एवं आदेश देते हैं कि अब से वह "अरुण कुमार गर्ग" के नाम से ही जाने जाएंगे।

आदेशानुसार,

चन्द्र शेखर, महानिबंधक कार्यालय के प्रभारी

## HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 12th January, 2015

No. 58/DHC/Gaz./G-10/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to permit Sh. Arun Kumar, an Officer of Delhi Judicial Service, to change his name from "Arun Kumar" to "Arun Kumar Garg" and order that henceforth he will be known as "Arun Kumar Garg".

By Order.

CHANDER SHEKHAR, Incharge of the Office of Registrar General